

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार। ***

पटना, दिनांक—10/04/2026/

विषय :- वित्तीय वर्ष-2026-27 में राज्य स्कीम के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 15 से 45 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से जोड़ने एवं 6-14 आयु वर्ग के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये उपबंधित राशि कुल ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं वित्त विभागीय संकल्प-2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में तत्काल ₹119.427 करोड़ (एक अरब उन्नीस करोड़ बेयालिस लाख सत्तर हजार) रुपये की सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 15 से 45 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से जोड़ने एवं 6-14 आयु वर्ग के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ा जाना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संगत मद में मूल बजट उपबंध ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये मात्र का है। अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये की स्वीकृति तथा तत्काल ₹119.427 करोड़ (एक अरब उन्नीस करोड़ बेयालिस लाख सत्तर हजार) रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के सभी 20 हजार महादलित टोलों, अतिपिछड़ा वर्ग एवं 10 हजार तालीमी मरकजों में इन समुदायों की 15-45 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है तथा प्रति वर्ष 06-14 आयु वर्ग के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत लाभों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत इन्हें ई० पी० एफ० का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत एवं विमुक्त की जाने वाली राशि में से **₹1,13,55,30,000** /- (एक अरब तेरह करोड़ पचपन लाख तीस हजार) रुपये के व्यय विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष, 04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101-प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड-21-2202047890101 के अन्तर्गत, विषय शीर्ष-0101.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा एवं **₹5,87,40,000** /- (पाँच करोड़ सत्तासी लाख चालिस हजार) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष 2202, सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष, 04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष 0102-प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड-21-2202042000102 के अंतर्गत, विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि निदेशक, जन शिक्षा, बिहार के निस्ताराधीन सौंपी जाती है। वित्त विभाग के पत्र संख्या-1720/वि० दिनांक 08.03.2021 की कंडिका-02 के तहत स्वीकृत राशि की निकासी जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा CFMS प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। इसके अन्तर्गत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) Approver के रूप में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का मानदेय केन्द्र स्तर पर सामग्री से संबंधित राशि, एस० आर० पी० एवं के० आर० पी० के अनुश्रवण/प्रबोधन की राशि, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय/लम्बित मानदेय/भविष्य निधि संगठन द्वारा अधिरोपित ब्याज की राशि/शिक्षा सेवक के मृत्योपरान्त अनुग्रह अनुदान की राशि सीधे सम्बन्धितों के बैंक खातों में Payee ID के माध्यम से अन्तरित करेंगे। मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक (लेखा), जन शिक्षा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा द्वारा की जायेगी। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र CFMS प्रणाली के अन्तर्गत महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी परिस्थिति में एक मुश्त राशि की निकासी कर अनावश्यक रूप से राशि को बैंक खातों में Park नहीं किया जाय।

4. राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।



6. प्रस्ताव में व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग की संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक 03.12.2024 के कंडिका-3 और कंडिका-05 (ख) (ii) के आलोक में राज्य द्वारा प्रायोजित चालू स्कीम के अन्तर्गत की जा रही है।
7. इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये बजट उपबंध उपलब्ध है।
8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि०/2 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. CFMS प्रणाली के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाए।
10. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ०आँ०यो० 04-03/2026 के पृष्ठ संख्या-05/टि० पर प्राप्त है।
12. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०-13/अ०आँ०यो० 04-03/2026 के पृष्ठ सं०-03/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-13/अ०आँ०यो० 04-03/2026...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-13/अ०आँ०यो० 04-03/2026...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक (लेखा)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा-05, शिक्षा विभाग/लेखापाल, जन शिक्षा (दो प्रतियों में) में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।



ज्ञापांक-13 / अ०आँ०यो० 04-03 / 2026..... / पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना शाखा / योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, जन शिक्षा / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना / साक्षरता) / उप निदेशक, जन शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-13 / अ०आँ०यो० 04-03 / 2026.....02..... / पटना, दिनांक-.....10/04/2026

प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/04/26

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।